राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः—एफ—7 (72/2)/रालसा/निदेशक/पी.एल.ए.गठन/2017/ 13 दिनांकः—07/01/2020

कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के तहत जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ पर संस्थापित्त स्थाई लोक अदालत में सदस्य की रिक्ति के कारण कोरम पूर्ण नहीं होने के कारण स्थाई लोक अदालत का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के आशय से तत्काल प्रभाव से निम्न व्यवस्था का आदेश दिया जाता है:—

1. सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, मंगलवार व बुधवार) कार्य दिवस पर एक सदस्य, जो स्थाई लोक अदालत, उदयपुर में नियुक्त है वह स्थाई लोक अदालत समय के दौरान चित्तौड़गढ जाकर स्थाई लोक अदालत बैंच सदस्य के रूप में अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, चित्तौड़गढ के निर्देशानुसार कार्य करेगे।
2. सप्ताह में दो दिन (गुरूवार व शुक्रवार) कार्य दिवस पर एक सदस्य, जो स्थाई लोक अदालत भीलवाड़ा में नियुक्त है वह स्थाई लोक अदालत समय के दौरान चित्तौड़गढ जाकर स्थाई लोक अदालत बैंच सदस्य के रूप में अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ के निर्देशानुसार कार्य करेगें।
3. स्थाई लोक अदालत उदयपुर एवं भीलवाड़ा में वर्तमान में दो सदस्य है और अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत उदयपुर व भीलवाड़ा उक्त अनुसार समान रूप से सदस्यों में कार्य दिवस का विभाजन करते हुए स्थाई लोक अदालत, चित्तौड़गढ एवं इस प्राधिकरण को सूचित करेगें।
4. यदि अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ अवकाश पर रहते है तो पूर्व सूचना संबंधित सदस्य को देगे ताकि उन्हें यात्रा नहीं करनी पड़े।
5. उक्त सदस्यों को, नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

D:\...\Permanent Lok Adalat\PLA Order.docx

क्रमांक : एफ–7(76/2)रालसा/संस्था–पीएलए गठन/2019/616-676 दिनांक:– 07.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़, उदयपुर।
5. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा।
6. अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा।
7. संबंधित सदस्य ....।
8. निदेशक/विशेष सचिव, राल्सा, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, राल्सा, जयपुर/जोधपुर।
10. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
12. उप सचिव–प्रथम/उप सचिव–द्वितीय/उप सचिव (एक्शन प्लान एण्ड एडीआर), रालसा जयपुर।
13. नोडल ऑफिसर, विभागीय वेबसाईट, रालसा, जयपुर।
14. आदेश/संबंधित/रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः—एफ—7 (72/2)/रालसा/निदेशक/पी.एल.ए.गठन/2017/ 12 दिनांकः— 07/01/2020

कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के तहत जिला मुख्यालय, सिरोही पर संस्थापित स्थाई लोक अदालत में सदस्य की रिक्ति के कारण कोरम पूर्ण नहीं होने के मद्देनजर स्थाई लोक अदालत का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के आशय से निर्देशानुसार यह आदेश प्रदान किये जाते है कि स्थाई लोक अदालत, सिरोही द्वारा निर्धारित कार्यदिवस बैठक तिथि पर स्थाई लोक अदालत, पाली में वर्तमान में कार्यरत दो सदस्यों में से एक सदस्य (अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत द्वारा नामित) स्थाई लोक अदालत, सिरोही में कार्य सम्पादन हेतु उपस्थिति दी जावे एवं इसकी पूर्व सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।

यदि अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, सिरोही नियत बैठक के दिवस को अवकाश पर रहते है तो पूर्व सूचना संबंधित सदस्य को देगें ताकि उन्हें यात्रा नहीं करनी पड़े। उक्त सदस्यों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

क्रमांक :— एफ—7(76/2)रालसा/संस्था—पीएलए गठन/2019/555-615 दिनांकः— 07.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली एवं सिरोही।
5. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली एवं सिरोही।
6. अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, पाली एवं सिरोही।
7. संबंधित सदस्य ....।
8. निदेशक/विशेष सचिव, रालसा, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, रालसा, जयपुर/जोधपुर।
10. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
12. उप सचिव—प्रथम/उप सचिव—द्वितीय/उप सचिव (एक्शन प्लान एण्ड एडीआर), रालसा जयपुर।
13. नोडल ऑफिसर, विभागीय वेबसाईट, रालसा, जयपुर।
14. आदेश/संबंधित/रक्षित पत्रावली।

निदेशक